न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 326 / 2026

अनवान : –

1. भगत सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह जाति छीपा (छीपी) निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– **वादी**

बनाम्

1. नसीब कौर पत्नि स्व. गुरदयाल सिंह जाति छीपा (छीपी) निवासी रामगढ़ तहसील नोहर
2. तिलोक सिंह रतन पुत्र स्व. गुरदयाल सिंह जाति छीपा (छीपी) निवासी रामगढ़ तहसील नोहर
3. सुनिता पुत्री स्व. गुरदयाल सिंह जाति छीपा (छीपी) निवासी रामगढ़ तहसील नोहर
4. मंजीत पुत्री स्व. गुरदयाल सिंह जाति छीपा (छीपी) निवासी रामगढ़ तहसील नोहर
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 26/05/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा रोही मौजा चक 16 डी.पी.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 46 / 44 की कुल तादादी 6. 3250 हेक्टर भूमि स्थित है जिसमें सयुक्त रूप से गुरदयाल सिंह पुत्र हरनामी जाति छिपा (छीपी) निवासी रामगढ़ तहसील नोहर खातेदार काश्तकार थे।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गुरदयाल सिह के नाम दर्ज है। वादी के पिता गुरदयाल सिंह पुत्र हरनामी जाति छिपा (छीपी) निवासी रामगढ़ तहसील नोहर दिनांक 15 / 02 / 2023 को फौत हो चुके है तथा उनकी फौतदगी के बाद उपरोक्त कृषि भूमि के वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 ब.हि..ब के खातेदार काश्तकार है एवं हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुसार वादग्रस्त भूमि के वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 प्रथम श्रेणी के वारिसान है तथा वादग्रस्त कृषि भूमि के विधिक उतराधिकारी हुयेक है तथा वाद भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण सं 3 व 4 जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 की बहिन है एवं पतिवादी सं. 1 की पुत्री है तथा प्रतिवादी सं. 3 व 4 की शादी हो चुकी है तथा अपने ससुराल में काफी धन सम्पदा है तथा प्रतिवादीगण सं. 3 व 4 ने अपना हक व हिस्सा त्याग कर दिया है। एवं प्रतिवादी सं. 1 जो कि काफी वृद्ध हो चुकी है तथा अपने पुत्रो की सेवा चाकरी से खुश होकर अपना हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं. 2 के पक्ष परित्याग कर दिया है। इसलिए रोही मौजा चक 16 डी.पी. एन. तहसील नोहर के खाता सं. 46 / 44 की कुल तादादी 6.3250 हैक्टर

उपखण्ड अधिकारी नोहर Rahul

भूमि में मृतक गुरदयाल सिंह पुत्र हरनामी के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा भूमि में वादी व प्रतिवादी सं. 2 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार रहेगे एंव मृतक गुरदयाल सिंह पुत्र हरनामी का नाम कलमजन करवाकर इन्ही आश्यों की वादी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की घोषणा की जावे कि रोही मौजा चक 16 डी.पी.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 46/44 की कुल तादादी 6.3250 हैक्टर भूमि में मृतक गुरदयाल सिंह पुत्र हरनामी के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा भूमि में वादी व प्रतिवादी सं. 2 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार रहेगे एंव मृतक गुरदयाल सिंह पुत्र हरनामी का नाम कलमजन किया जावे। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण गुरदयाल सिंह दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गुरदयाल सिह के नाम दर्ज है। वादी के पिता गुरदयाल सिंह पुत्र हरनामी जाति छिपा (छीपी) निवासी रामगढ़ तहसील नोहर दिनांक 15/02/2023 को फौत हो चुके है तथा उनकी फौतदगी के बाद उपरोक्त कृषि भूमि के वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 ब.हि..ब के खातेदार काश्तकार है एवं हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुसार वादग्रस्त भूमि के वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 प्रथम श्रेणी के वारिसान है तथा वादग्रस्त कृषि भूमि के विधिक उतराधिकारी हुयेक है तथा वाद भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण सं 3 व 4 जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 की बहिन है एवं पतिवादी सं. 1 की पुत्री है तथा प्रतिवादी सं. 3 व 4 की शादी हो चुकी है तथा अपने ससुराल में काफी धन सम्पदा है तथा प्रतिवादीगण सं. 3 व 4 ने अपना हक व हिस्सा त्याग कर दिया है। एवं प्रतिवादी सं. 1 जो कि काफी वृद्ध हो चुकी है तथा अपने पुत्रो की सेवा चाकरी से खुश होकर अपना हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं. 2 के पक्ष परित्याग कर दिया है। इसलिए रोही मौजा चक 16 डी.पी.

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

एन. तहसील नोहर के खाता सं. 46/44 की कुल तादादी 6.3250 हैक्टर भूमि में मृतक गुरदयाल सिंह पुत्र हरनामी के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा भूमि में वादी व प्रतिवादी सं. 2 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार रहेगे एंव मृतक गुरदयाल सिंह पुत्र हरनामी का नाम कलमजन करवाकर इन्ही आश्यों की वादी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा रोही मौजा चक 16 डी.पी.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 46/44 की कुल तादादी 6.3250 हेक्टर भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि गुरदयाल सिंह पुत्र हरनामी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गुरदयाल सिह के नाम दर्ज है। वादी के पिता गुरदयाल सिंह पुत्र हरनामी जाति छिपा (छीपी) निवासी रामगढ़ तहसील नोहर दिनांक 15/02/2023 को फौत हो चुके है तथा उनकी फौतदगी के बाद उपरोक्त कृषि भूमि के वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 ब.हि..ब के खातेदार काश्तकार है एवं हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुसार वादग्रस्त भूमि के वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 प्रथम श्रेणी के वारिसान है तथा वादग्रस्त कृषि भूमि के विधिक उतराधिकारी हुयेक है तथा वाद भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण सं 3 व 4 जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 की बहिन है एवं पतिवादी सं. 1 की पुत्री है तथा प्रतिवादी सं. 3 व 4 की शादी हो चुकी है तथा अपने ससुराल में काफी धन सम्पदा है तथा प्रतिवादीगण सं. 3 व 4 ने अपना हक व हिस्सा त्याग कर दिया है। एवं प्रतिवादी सं. 1 जो कि काफी वृद्ध हो चुकी है तथा अपने पुत्रो की सेवा चाकरी से खुश होकर अपना हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं. 2 के पक्ष परित्याग कर दिया है। इसलिए रोही मौजा चक 16 डी.पी. एन. तहसील नोहर के खाता सं. 46/44 की कुल तादादी 6.3250 हैक्टर भूमि में मृतक गुरदयाल सिंह पुत्र हरनामी के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा भूमि में वादी व प्रतिवादी सं. 2 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार रहेगे एंव मृतक गुरदयाल सिंह पुत्र हरनामी का नाम कलमजन करवाकर इन्ही आश्यों की वादी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को कोई ऐतराज नही है। वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान एवं सदस्य प्रमाण पत्र के के अलावा लाधुराम के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। वाद

Rahul.
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य हैं।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रोही मौजा चक 16 डी.पी.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 46/44 की कुल तादादी 6.3250 हेक्टर भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि गुरदयाल सिंह पुत्र हरनामी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक गुरदयाल सिंह पुत्र हरनामी का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी स0 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक ....26/05/26.... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 326 / 2026

अनवान : –

1. भगत सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह जाति छीपा (छीपी) निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम्

1. नसीब कौर पत्नि स्व. गुरदयाल सिंह जाति छीपा (छीपी) निवासी रामगढ़ तहसील नोहर
2. तिलोक सिंह रतन पुत्र स्व. गुरदयाल सिंह जाति छीपा (छीपी) निवासी रामगढ़ तहसील नोहर
3. सुनिता पुत्री स्व. गुरदयाल सिंह जाति छीपा (छीपी) निवासी रामगढ़ तहसील नोहर
4. मंजीत पुत्री स्व. गुरदयाल सिंह जाति छीपा (छीपी) निवासी रामगढ़ तहसील नोहर
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 326 सन 2026 निर्णय दिनांक 26/05/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रोही मौजा चक 16 डी.पी.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 46 / 44 की कुल तादादी 6.3250 हेक्टर भूमि में से 1 / 3 हिस्सा भूमि गुरदयाल सिंह पुत्र हरनामी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक गुरदयाल सिंह पुत्र हरनामी का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी स0 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 /– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 26/05/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर